CIN : U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(कार्मिक विभाग)
पंजि.कार्या. : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005
फोन व फैक्स नं. : 0141-2747036
Website : www.jaipurdiscom.com
Email : cpo@jvvnl.in; cpojvvnl@yahoo.com

क्रमांकः जेपीडी / मु.का.अ. / उनिका(मुख्या.) / प. /प्रे. 1747 जयपुर, दिनांकः 26.06.15

आदेश

कर्मचारियों एवं आमजन की विद्युत जनित दुर्घटनाए गम्भीर चिन्ता का विषय है। ऐसी दुर्घटनाओ की दर में कमी के लिये कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं सुरक्षा साधनों का प्रयोग एवं आमजन द्वारा विद्युत लाईनो एवं उपकरणों से दूरी एवं अनावश्यक छेडछाड न करने की प्रवृति आवश्यक है। निगम के तकनीकी कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियोजित किये गये ठेका श्रमिकों की विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 903 दिनांक 05.05.14 एवं 1745 दिनांक 12.08.14 द्वारा वृत्त स्तर पर 33 के.वी. उपचौकियों के निरीक्षण एवं तकनीकी कामगारों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये एक समिति गठित की गयी है, जिसके द्वारा तकनीकी कामगारो को कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, व्यावहारिक प्रशिक्षण, उपचौकियों पर सुरक्षा उपकरणों व दवाईयों की उपलब्धता का निरीक्षण, उपचौकियों पर विद्युत उपकरणों (जी.ओ., डी.ओ., केपेसिटर, ट्रांस्फार्मर इत्यादि) की समुचित फंक्शनिंग का निरीक्षण एवं फीडर, डबल सप्लाई, शट डाउन के बिन्दु पर लगाने के लिये नोटिस की उपलब्धता इत्यादि कार्य निष्पादित किये जाने हैं। इस समिति को निगम के तकनीकी कर्मचारियों के साथ–साथ विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियोजित किये गये ठेका श्रमिको एवं E-IV केटेगरी के अन्तर्गत CLRC दर पर कार्य करने हेतु पंजीकृत आई.टी.आई योग्यताधारी ठेकेदारों तथा उनके द्वारा नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों को भी विद्युत लाईनों एवं उपकरणों पर सुरक्षित रूप से कार्य करने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने एवं निरीक्षण के दौरान यदि किसी निगमकर्मी / ठेकाकर्मी द्वारा सुरक्षा निर्देश की अवहेलना करते पाया जावे तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसके अतिरिक्त आदेश 1066 दिनांक 26.05.14 द्वारा श्रम संघो द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर के लिये वृत स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता के अधीन सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु वृत कार्मिक अधिकारी को प्राधिकृत किया गया था जिसके तहत शिविर में स्थानीय जनता को भी आमंत्रित कर उन्हें विद्युत लाईनों व उपकरणों के सम्भावित खतरों के बारे में जागरूक किया जावे, जिससे की उनके द्वारा विद्युत लाईनों व उपकरणों से छेडछाड की प्रवृति पर अंकुश लगे। ध्यातव्य रहे कि वित्त वर्ष 2014–15 में आयोजित जागरूकता शिविर, कार्य व अन्य शर्ते वित्त वर्ष 2015–16 में भी यथावत रहेगी।

यह देखने में आया है कि उपरोक्त आदेशो की सम्बंधित पक्षों द्वारा पूर्णरूपेण पालना नहीं की जा रही है, जिससे विद्युत दुर्घटनाओं की दर में वांछित गिरावट नहीं आ पा रही है। अतः एतदद्वारा पुनः निर्देश प्रसारित किये जाते है कि वृत स्तर पर गठित समिति के माध्यम से सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षण, निरीक्षण, सुरक्षा साधनों की उपलब्धता के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही आमजन को जागरूक करने हेतु समय-समय पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाये एवं विभिन्न स्तर पर आयोजित चौपाल में भी उन्हें विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों की पुस्तिका वितरित करें। कर्मचारियों एवं आमजन की सुरक्षा हेतु उक्त कार्यों के निष्पादन के अभाव में विद्युत दुर्घटनाओं के लिए सभी सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।

आज्ञा से,

(वी.पी.पारीक)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता/उपमुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,, ...
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर, ...
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को जयपुर विद्युत वितरण निगम की वेब-साईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...
8. उप निदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...
9. अधिशाषी अभियन्ता ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...
10. कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
11. उप सचिव/सहायक सचिव ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...
12. निजी सहायक-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...
14. जन-सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
15. सूचनापट्ट।

26/6/15
(सीनू सबेस्टियन)
कार्मिक अधिकारी (म.स.)